निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1934 (शo)

(सं0 पटना 192) पटना, बुधवार, 6 मार्च 2013

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

1 मार्च 2013

सं0 14/मु013-760/11 उ0शि0-467—भारतीय संविधान की अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा अधिसूचना संख्या-733 दिनांक 27.04.2012 के क्रम राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के स्वीकृत पद, नियुक्ति, प्रोन्नत्ति एवं वेतन निर्धारण एवं बकाया वेतनादि एवं पेंशनादि राशि की अनुमान्यता की जाँच हेतु श्री विजय शंकर दूबे की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्यबल तथा उसकी शक्ति एवं कार्यों को पुर्ननिर्धारित निम्न रूप से किये जाने का प्रस्ताव है :-

2. **समिति का कार्यकाल** : प्रारम्भ में समिति का कार्यकाल तत्काल छः माह का होगा, जिसका समय-समय पर समिति के कार्यभार को दृष्टिपथ में रखते हुए या समिति को कार्यरत रखने की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा ।

3. **समिति की शक्ति** :

(i) समिति सूचना प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के किसी भी पदाधिकारी से और/या उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्य/ या उससे संबंधित कर्मियों को/ से दावे की जाँच करने हेतु तथा उनके कर्त्तव्य निर्वहन करने हेतु समिति संतुष्ट होने तथा अभिलेख की मांग करने के लिए सक्षम होगा । शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं राज्य के विश्वविद्यालय/ अंगीभूत महाविद्यालय के पदाधिकारियों की बैठक मुद्दे को समझने, उसका निराकरण करने और संबंधित कर्मियों को देय राशि के निर्धारण हेतु बुलाने के लिए समक्ष होगा ।

(ii) समिति राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों की समस्या का अध्ययन करने तथा आपसी स्वीकार्य निदान का पता करने हेतु उनका स्थल भ्रमण कर सकती है ।

(iii) उपर्युक्त समनुदेशित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त समिति राज्य सरकार को राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक तथा आर्थिक वातावरण में सुधार हेतु विभिन्न उपायों पर सलाह दे सकती है ।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय/राज्य सरकार किसी अन्य मामले की जाँच करने और प्रतिवेदन देने हेतु समिति को कह सकती है ।

प्रथमत: समिति ऐसे मामलों को ही जाँच कर प्रतिवेदन देगी जो माननीय पटना उच्च न्यायालय में लम्बित/ विचाराधीन है और इसके द्वारा विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महा0 के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया राशि निर्धारित करने हेतु संदर्भित है ।

4. **समिति द्वारा अंगीकृत किये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया :-**

(i) संबंधित कर्मी को देय राशि निर्धारित करने के क्रम में समिति अन्य सभी सुसंगत तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करेगी :-

(a) क्या कर्मी की नियुक्ति/ प्रोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम एवं इसके अधीन गठित परिनियम में निहित प्रावधानों के अनुकूल है ?

(b) क्या इस निमित्त पद विधिवत रूप से स्वीकृत था ?

(c) क्या वेतन निर्धारण इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल है ?

(d) क्या इस संबंध में अंकेक्षक द्वारा कोई टिप्पणी की गयी है ?

(e) क्या बकाया मद की राशि के लिए भारत सरकार से कोई अंशदान भी प्राप्त होना है?

(ii) समिति जब कभी आवश्यक समझे तो सम्बद्ध कर्मी को और शिक्षा विभाग को भी अपना दावा या पक्ष रखने का अवसर प्रदान कर सकती है ताकि समिति अंतिम रूप से अपनी धारणा/विचार गठित कर सके ।

5. यदि शिक्षा विभाग एवं समिति के बीच कोई मतान्तर उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. इस आदेश के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित व्यय विवरणी के अनुसार ही राज्य सरकार समिति पर खर्च वहन करेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीवन सिन्हा,
विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 192-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in